आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Cottage and Village Industries Department (Kutir evam Gramodyog Vibhag), Silk Directorate

Tasar Resham Vikas evam Vistar

मध्य प्रदेश के टसर वाले जिलों में स्थानीय किसानों को जंगल के अर्जुन और साज के पेड़ों पर टसर रेशम कीट पालन से स्वरोजगार के लिए मदद दी जाती है।

क्या मिल सकता है

लाभार्थी को प्रति हेक्टेयर अर्जुन या साज के पेड़ों का क्षेत्र, कीट पालन के उपकरण, रियायती दर पर स्वस्थ समूह और चूना व कीटाणुनाशक सामग्री के लिए 9 रुपये प्रति स्वस्थ समूह की मदद मिलती है। उनकी उपज तय दरों पर खरीदी जाती है और भुगतान मध्य प्रदेश सिल्क फेडरेशन ऑनलाइन करता है।

किसके लिए है

किसी भी वर्ग और आय के स्थानीय किसान, जो टसर रेशम वाले जिलों में जंगल क्षेत्र में काम करने को तैयार हों।

मुख्य शर्तें

- आवेदक स्थानीय किसान हो, किसी भी वर्ग या आय का।
- आवेदक जंगल क्षेत्रों में काम करने को तैयार हो।
- टसर का काम 17 जिलों में चलता है: नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, झाबुआ और अलीराजपुर।

आवेदन कैसे करें

1. अपने जिले के सबसे पास के रेशम केंद्र के जरिए आवेदन करें।
2. जुलाई में काम शुरू होने से पहले आवेदन करें, यही योजना पेज पर दी गई समय सीमा है।
3. जिला रेशम अधिकारी नामित अधिकारी हैं और अपील रेशम संचालनालय में होती है। आवेदन का कोई शुल्क नहीं है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cmhelpline.mp.gov.in/KnowYourEntitleDetail.aspx?status=BySchemeFor&pointvalue=0&Schemeid=887
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-tasar-resham-vikas-vistar/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।